



संख्या : /जी०एस०/शिक्षा/ A11-130(1)/2021

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथोल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या: memo/Affi/2020-21 दिनांक 21-06-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा दून पीजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, कैम्प रोड, सेलाकुई, देहरादून को 04 पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2020-21 से स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव संस्थान में स्थायी सम्बद्धता हेतु अनिवार्य मानदण्ड पूर्ण न होने के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020-21 से स्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत संस्थान को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण पर मा० कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में सत्र दर सत्र के आधार पर कार्यान्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

क्र०	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	दून पीजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, कैम्प रोड, सेलाकुई, देहरादून।	1. बी०-एससी०- फूड टेक्नोलॉजी 2. एम०-एससी०- फूड टेक्नोलॉजी 3. एम०ए०- मास कम्प्यूनिकेशन 4. एम०लिब०	60 सीट 30 सीट 30 सीट 30 सीट	शैक्षिक सत्र 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों को पूर्ण करने की दशा में ही सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- संस्थान के मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता के दृष्टिगत संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व छात्रहित में यू०जी०सी०/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेगी, ताकि अपूर्ण मानकों के कारण छात्रों के हित प्रभावित न हों।

3- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् संस्थान को शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व शैक्षिक सत्र 2019-20 की अद्यतन स्थिति से कुलाधिपति सचिवालय को अवगत करायेगी।

4- विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को सत्र 2020-21 की स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है किन्तु संस्थान यू०जी०सी० विनियमानुसार स्थायी सम्बद्धता हेतु मानक पूर्ण नहीं करता है। तदक्रम में मा० कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में संस्थान को सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता हेतु कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। स्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव यू०जी०सी० विनियमानुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही कुलाधिपति सचिवालय को प्रेषित किया जाये।

5- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1608 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A11-130(1)/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रवन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।